

एसटीसी/मु./का./औ.सं./02025/2016

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली  
(कार्मिक प्रभाग)

15 जून, 2017

परिपत्र सं: औ.सं./16/2017

विषय: कर्मचारियों के दौरों के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी

वर्तमान वित्तीय स्थिति के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालयी कार्य के लिए कर्मचारियों के सभी दौरों की आगे आदेश जारी होने तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमोदन से अनुमति होगी। ऐसे कर्मचारी जिनके दौरों का पहले अनुमोदन हो चुका है लेकिन यात्रा आरंभ नहीं की है, उनके लिए भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

2. इस विषय में पहले जारी सभी परिपत्र निष्प्रभावी होंगे।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(समित महापात्र)  
महाप्रबंधक (कार्मिक)

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधकों/महाप्रबंधक
- सभी शाखा प्रबंधक
- प्रभागाध्यक्ष
- उप महाप्रबंधक(वित्त)/(ले.एवं स्था.)
- उप महाप्रबंधक(सा.प्र.प्रभाग)
- नोटिस बोर्ड/वेबसाइट

STC/CO/PER/IR/02025/2016

**THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.: NEW DELHI**  
**(PERSONNEL DIVISION)**

June 15<sup>th</sup>, 2017

**CIRCULAR No: IR/16/2017**

**Subject: Competent Authority for approving Tours of employees**

In view of the prevailing financial position, it has been decided that all the employee tours arising out of their official duty would be allowed with the prior approval of the CMD, till further orders. Those employees who are having approval for proceeding on tour but journey has not commenced, also need to seek prior approval of the Competent Authority.

2. This is in supersession of all the earlier Circulars on the subject.
3. This issues with the approval of the Competent Authority.

  
15.06.17

(Samit Mohapatra)

General Manager(Pers)

- Exe. Secy to CMD
- Exe. Secy to Directors/CVO
- All CGMs/GMs
- All Branch Managers
- All Divisional Heads
- DGM(F)(A&E)
- Notice Board/Website